

(c) 4 applications for compassionate appointment are under active consideration based on the degree of indigent conditions.

(d) and (e) Yes, Sir. Applicants are being shortlisted based on the degree of indigent conditions for consideration on priority.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS†

MR. CHAIRMAN: Reply to the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. Hon. Prime Minister.

प्रधान मंत्री (श्री नरेंद्र मोदी): आदरणीय सभापति जी और सभी आदरणीय सांसद महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा हुई है। करीब 30 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लेकर अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का देश को लाभ पहुंचाया। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, डा. विजयलक्ष्मी साधौ जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्रीमती रजनी पाटिल जी, श्री अनिल देसाई जी, श्री शरद यादव जी, श्री देरेक ओब्राईन जी, श्री प्रफुल्ल पटेल जी, सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा जी, श्री सीताराम जी, श्री डी. राजा जी, डा. के. केशव राव जी तथा अन्य कई सारे नाम हैं, सभी महानुभावों ने सदन को और देश को लाभान्वित किया है। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात जो कही गई थी, उसका तुरंत इतना सकारात्मक प्रभाव होगा, वह बात हम सबको प्रसन्न करती है। राष्ट्रपति जी ने कहा था कि सदन चलना चाहिए, सदन में संवाद होना चाहिए। हम सभी सदस्यों ने राष्ट्रपति जी की बात को शिरोधार्य माना और सदन को बहुत ही सुचारु रूप से मिलकर चलाया। मैं इसके लिए विशेष रूप से विपक्ष के सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जो असर है, मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में गौरव देने वाला है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से भी इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि यह एक खुशी की बात है कि सदन में सभी सदस्य सक्रिय हैं, अपने-अपने विचारों के लिए आग्रही हैं। करीब 300 के करीब अमेंडमेंट्स आए हैं और हर अमेंडमेंट का अपना महत्व भी है, लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम राष्ट्रपति जी के विज़डम पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। समय की सीमा में जितने विषय आ सकते थे, आए, जो नहीं आए, इसका मतलब यह नहीं है कि वे महत्व के विषय नहीं हैं। राष्ट्रपति पद की गरिमा और उनके विज़न पर भरोसा करते हुए मैं सभी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापस लेकर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें, ताकि एक अच्छी परंपरा जारी रहे। हम सबने देखा होगा कि कल रात को 12 बजे तक लोक सभा का सत्र चला। दो दिन पूर्व यह सदन भी देर शाम तक बैठा था। आम तौर पर इतने घंटे काम करने के बाद

† Further Discussion continued from 8th March, 2016.

थकान महसूस होती है, लेकिन मैं उल्टा अनुभव कर रहा था। जिन-जिन सदस्यों से मेरा मिलना हुआ, बात करने का मौका मिला, देर रात तक बैठने के बाद भी वे अत्यंत प्रसन्न थे, अत्यंत संतुष्ट थे, अत्यंत आनंदित थे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अपने पास जो कुछ भी कहने की बातें थीं, अपने क्षेत्र की बातें थीं, समस्याएँ थीं, उनको इस पवित्र फोरम में वे जी भर कर कह पाए, यह अवसर उनको मिला है। उनके चेहरे की जो प्रसन्नता है, यह सदन चलने के कारण संभव हुई है, वरना पिछली बार सदन में क्या हुआ, हमने देखा है। जैसे 'Question Hour' है। मैं मानता हूँ कि 'Question Hour' अपने आप में सदस्यों की अपनी सम्पत्ति है। राष्ट्र के महत्वपूर्ण issues पर सरकार को कठघरे में खड़ा करना, executive को accountable बनाना, उनके लिए सवालिया निशान खड़ा करना, मंत्रियों को भी हर प्रकार से सजग रखने के लिए अगर कोई सबसे ताकतवर जगह है, तो वह 'Question Hour' है। लेकिन हमने देखा कि पिछली बार सदन न चलने के कारण Starred Questions 269 थे, लेकिन सिर्फ 7 को अवसर मिला और करीब 42 घंटे हमारे इस हल्ला बोल के अन्दर आहुत हो गए। उसके पूर्व के सत्र में इन्हीं सदस्यों के द्वारा पूछे गए Starred Questions करीब 270 थे, जिनमें से सिर्फ 6 चर्चा में आए। करीब-करीब हमारे 72 घंटे इस माहौल के अन्दर आहुत हो गए। इस बार हमारे wisdom ने, हमारे अनुभव ने, हमारी जिम्मेदारियों ने हमें बचा लिया। माननीय सदस्यों के सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रियों को देर रात तक तैयारियाँ करनी पड़ रही है, executive को भी हिसाब देने के लिए सजग रहना पड़ रहा है और यही लोकतंत्र की ताकत है। इस ताकत को, मैं समझता हूँ कि हम जितनी तवज्जो दें, उतनी कम है।

एक बात जरूर है कि मृत्यु को एक वरदान है। अब मृत्यु को ऐसा वरदान है कि मृत्यु कभी बदनाम नहीं होती है, मृत्यु पर कभी आरोप नहीं लगता। कोई मरे, तो यह कैंसर से मरा है, आरोप कैंसर पर जाता है। कोई मरे, तो यह अकस्मात् मरा है, अकस्मात् पर आरोप जाता है, आरोप मृत्यु पर नहीं जाता है। बड़ी आयु में मरे, तो वे उम्र के कारण मरे हैं, मृत्यु को कभी दोष नहीं लगता है, मृत्यु कभी बदनाम नहीं होती है। कभी-कभी लगता है कि कांग्रेस को ऐसा कोई वरदान है। वरदान इस अर्थ में है कि अगर हम कांग्रेस की आलोचना करें, तो आपने मीडिया में देखा होगा कि 'विपक्ष पर हमला', 'विपक्ष पर आरोप', कभी यह नहीं आता है कि 'कांग्रेस पर हमला', 'कांग्रेस पर आरोप'। अगर हम शरद जी के खिलाफ कुछ कहें, मायावती जी के खिलाफ कुछ कहें, तो अखबार में आएगा, टीवी पर आएगा कि 'बीएसपी पर हमला', 'जेडी(यू) पर हमला', 'शरद जी पर हमला', 'मायावती जी पर हमला', लेकिन कांग्रेस ऐसी है कि जब भी हमला हो, तो 'विपक्ष पर हमला'। कांग्रेस को कभी बदनामी नहीं मिलती है। अब यह अपने आप में बहुत गजब का विज्ञान है। हमारे सारे साथी सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे विपक्ष के नेता ने जब यहां पर चर्चा प्रारम्भ की थी, तब मैं भी यहां उपस्थित था। उस समय हमारे नड्डा जी ने कहा कि sea-change आया है, तो हमारे गुलाम नबी जी ने इस बात पर एतराज किया, शायद उनका इरादा माहौल को थोड़ा हल्का करने का रहा होगा, उनका इरादा कोई गलत नहीं होगा, लेकिन उन्होंने चेन्नई का उदाहरण दे दिया। वह एक संकट था और मानवीय दृष्टि से वह एक दर्दनाक घटना थी, लेकिन उस दुर्घटना को sea-change से जोड़कर मजाक करने से हमने उनकी पीड़ा में...(व्यवधान)...

यहां एक विषय यह भी आया कि राजस्थान और हरियाणा में उन्होंने चुनाव में जो कुछ नियम बनाए हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, लेकिन डेमोक्रेसी में qualitative change लाने का हमारा जो एक प्रयास है, उसको कुछ राजनीतिक रंग देने का प्रयास चल रहा है। हमारा मतभेद

[श्री नरेंद्र मोदी]

हो सकता है, लेकिन कई लोग इतनी प्रखरता के साथ यह कहते हैं कि जो अशिक्षित रह गए हैं, उनके बारे में हमारा क्या कहना है? मैं खास तौर से गुलाम नबी साहब और उनके साथियों से आग्रह करूंगा कि पांच राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, वहां कम से कम 30% टिकट वे अनपढ़ लोगों को दें, जो बिल्कुल अनपढ़ हों, तो जो वे कह रहे हैं कि उसमें उनका क्या कमिटमेंट है, वह पता चल जाएगा, चूंकि उन्हें अनपढ़ लोगों की इतनी चिन्ता है और होनी भी चाहिए।

महोदय, मैं अपना एक अनुभव शेयर करता हूं। जब मैं गुजरात में था, तो हर वर्ष जून महीने में, 13, 14, 15 जून को, कन्या शिक्षा को लेकर, बेटियों को पढ़ाने के लिए गुजरात में एक कैम्पेन चलता था। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। Please sit down.

श्री नरेंद्र मोदी: जून महीने में गुजरात में 40-45 डिग्री टेम्परेचर रहता है। उस समय हमारी पूरी सरकार गांव जाती थी, मैं खुद भी जाता था और तीन-तीन दिन गांव में रहता था। मैं वहां पर बेटियों को पढ़ाओ, इसके लिए कैम्पेन चलाता था। चूंकि वहां पर स्कूल 15 जून से शुरू होते थे, तो उसके पहले स्कूल में कन्याओं के एडमिशन के लिए हम कैम्पेन करते थे। वहां मैं एक मातृ सम्मेलन भी करता था। उसी दौरान मैं एक गांव में गया और वैसे ही मैंने उनसे पूछा कि ज़रा बताइए, आप में से अनपढ़ कितने हैं? उनमें से कोई 40, 45, 50 साल की महिलाओं ने अपने हाथ ऊपर किए कि हम पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन 5-6 महिलाएं ऐसी थीं, जिनकी उम्र 80-85 थी, उन्होंने अपने हाथ ऊपर नहीं किए। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप पढ़ी-लिखी हैं, तो वे बोलीं, हां। हमारी बहू अनपढ़ है, लेकिन हम पढ़ी-लिखी हैं। मैंने उनसे पूछा कि कैसे? वे बोलीं, आज़ादी के पहले की बात है, हम गायकवाड़ स्टेट की नागरिक थीं और गायकवाड़ स्टेट में यह नियम था कि अगर बेटों को नहीं पढ़ाते हैं, तो एक रुपया दंड होता था। वे बोलीं, इसी कारण से हम पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन बाद में देश में स्वतंत्रता आई, सरकारें बदल गईं, इसलिए हमारी यह बहू अनपढ़ है। इसलिए अनपढ़ता का जो कारण है, आज़ादी के बाद हमारी जो कमियां रही हैं, वह है। हमें शिक्षा की चिन्ता करने की जरूरत है, ताकि ये जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से हम बाहर आ सकें। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सदन ...**(व्यवधान)**...

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (Nominated): Sir, has he any idea as to how much the literacy has increased since Independence?

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...**(Interruptions)**... Please don't interrupt.

श्री नरेंद्र मोदी: पहले आकाशवाणी रेडियो पर ...**(व्यवधान)**...

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Why is the Prime Minister misleading the House?

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...**(Interruptions)**...

श्री नरेंद्र मोदी: सर, पहले आकाशवाणी रेडियो पर एक कार्यक्रम चलता था। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: मन की बात। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेंद्र मोदी: गुजराती में उसका जो नाम था, मुझे मालूम नहीं कि हिन्दी में क्या वही शब्द है। उसका नाम 'विसराते सुर' था। यानी जो भूले-बिसरे गीत हैं, वह उनका कार्यक्रम था। ...**(व्यवधान)**...

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): "भूले-बिसरे गीत" के नाम से चलता था। ...**(व्यवधान)**... उसका नाम ही था—“भूले-बिसरे गीत”। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेंद्र मोदी: आखिरी प्रोग्राम होता था। ...**(व्यवधान)**... तो अब कुछ लोगों का टेन्थोर पूरा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि आखिर में कुछ ...**(व्यवधान)**... तो ये भूले-बिसरे सुर आखिर में सुनाई तो देने चाहिए!

सभापति जी, एक प्रकार से यह अपर हाउस है। हमारे यहां कहा जाता है: 'महाजनो येन गतः सः पन्थाः'। जहां महापुरुष चलते हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं। इस सदन में महाजन बैठे हैं। इस सदन से जो होगा, जिस प्रकार से होगा, उसका असर लोक सभा में होगा, उसका असर असेम्बलीज में होगा, कहीं-कहीं सिटी कॉरपोरेशंस में भी हो रहा है। इसलिए हम ऐसा कैसे करें, ताकि नीचे तक वह माहौल बने, जो लोकतंत्र को पुष्ट करे। हमारे कई बिल्स पारित हों, देश इसका इंतजार कर रहा है। जीएसटी की चर्चा हो रही है। बाकी बिल्स की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में हैं। अब जो जनप्रतिनिधि चुन कर आये हैं, उन्होंने तो इसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, अब यह जगह ऐसी है, हमारा अपर हाउस एक चेम्बर ऑफ आइडियाज है, यहां से देश को मार्ग दर्शन मिले, दिशा मिले, इसलिए दोनों सदनों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है। दोनों सदन वस्तुतः उसी स्ट्रक्चर के भाग हैं। सहयोग एवं सामंजस्य की भावना की किसी भी कमी से कठिनाइयां बढ़ेंगी और हमारे संविधान के उचित रूप से कार्य करने में बाधा खड़ी होगी। यह चिन्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जताई थी। मैं आशा करता हूँ कि हम पंडित जी की इस चिन्ता को महत्व दें और कोशिश करें कि हमारे यहां ये सारे जो पैडिंग बिल्स हैं, इस बार सदन चल रहा है, एक अच्छे माहौल में चल रहा है, तो हम इन बिल्स को अगर पारित करें, तो देश को गति देने में, यह जो महा जनो का गृह है, वरिष्ठों का गृह है, यह बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि लोक सभा में जो बिल्स पारित हुए हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके, पारित करके हम देश को गति देने में अपनी भूमिका अदा करें।

इस सरकार में, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ बातें आई हैं। यह तो सही है कि देश आजाद हुआ है, सरकारें बनी हैं, लम्बे अरसे से सत्ता भोगने का अवसर मिला है, सत्ता में रहने का अवसर मिला है, कुछ काम करने का अवसर मिला है और कुछ समय पहले से थोड़ा बदलाव भी धीरे-धीरे शुरू हुआ है। इस समय हम लोगों को मौका मिला है। ऐसा तो नहीं है कि कोई काम करना नहीं चाहता होगा, हर कोई चाहता होगा। कभी-कभार सवाल यह होता है कि हमारा इतना बड़ा देश है, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, चलता है, इस प्रकार से करेंगे, तो हम बहुत पिछड़ जाएँगे। हमें इंड्रीमेंटल इंप्रवमेंट से हटकर एक क्वांटम जम्प की ओर जाना बहुत जरूरी है। इसलिए शक्ति भी ज़रा ज्यादा लगानी पड़ती है। शक्ति जोड़नी भी पड़ती है। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। हमने एक बल दिया है "गुड गवर्नेंस" पर। अगर मैं "गुड गवर्नेंस" की बात करता हूँ, "सुशासन" की बात करता हूँ तो उसकी पहली शर्त होती है, ट्रांसपेरेंसी। हम भली-भांति जानते हैं कि इसके पूर्व, हमारे आने से पहले देश और दुनिया में सही और गलत, इसका विवाद हो सकता है, लेकिन यह माहौल बना हुआ था, विश्वास टूट चुका

[श्री नरेंद्र मोदी]

था, आशंका के दायरे में हम दबे हुए थे और भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद इन चीजों ने हिन्दुस्तान के मन को जकड़ लिया था। दुनिया में इसके कारण भारत की छवि को गहरा नुकसान हुआ था। देश में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है और लोगों की जिम्मेदारी भी है, ट्रांसपेरेंसी। Policy-driven Government, इंडीविज्युअल की whims पर सरकारें नहीं चल सकतीं। सरकार नीतियों के आधार पर चलनी चाहिए, उस पर हमारा बल रहा है। पिछले दिनों, चाहे कोयले की चर्चा हो, चाहे स्पेक्ट्रम की चर्चा हो, न जाने क्या-क्या बातें उठीं। अब सारे मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी पर बल दिया है। उसका परिणाम यह है कि कोयला ऑक्शन में हम गए, 3.33 लाख करोड़; स्पेक्ट्रम में गए एक लाख करोड़; हम एफ.एम. रेडियो में गए। अभी-अभी चल रहा है, शायद आप लोगों को ध्यान होगा कि 6 अन्य मिनरल्स का चल रहा है और अभी-अभी ऑक्शन करीब 18 हजार करोड़ रुपए क्रॉस कर गया। यह हमारी एक कोशिश है कि ट्रांसपेरेंसी हो और मैंने उसके लिए उदाहरण दिए। अभी-अभी फॉर्ब्स मैगज़ीन में जो ऑक्शन की परम्परा हमने शुरू की है, उसके विषय में एक बात कही गयी है। फॉर्ब्स मैगज़ीन कहती है, "India has just conducted its first auction of a gold mine: This is exactly the right way to allocate the exploration and exploitation rights of such a natural resource. This is another one of those steps along the road to India becoming much wealthier country it should be." अब वे जो गोल्ड माइन कहते हैं, उनके पश्चिम की दुनिया में, इनके लिए, कोयला वगैरह को सब को गोल्ड माइन के रूप में माना जाता है, उन सब को गोल्ड माइन लिखा है। हमारे यहां कोई सोने की खदानें नहीं दी गई हैं। फॉर्ब्स मैगज़ीन ने आगे एक अच्छी बात कही है, हमने जो प्रयास किया, उस पर उसने कहा है। एक ही वाक्य मैं अलग से पढ़ना चाहूंगा, "This is the way this matter should be handled."

मैं समझता हूँ कि इसमें काफी कुछ आ जाता है। गुड गवर्नेंस का दूसरा पहलू है, एकाउंटैबिलिटी। हम यह मानकर चले कि कुल मिला करके जो deterioration आया है, उसमें हम खबरों की स्पीड से चलते चले जा रहे हैं, पीछे की चीजें छूटती चली जा रही हैं। खबरें आती हैं, जाती हैं, घटनाएं आती हैं, जाती हैं, एकाउंटैबिलिटी का विषय छूट जाता है। हमने कोशिश की है कि एकाउंटैबिलिटी पर बल दिया जाए। मैं लगातार इन दिनों इफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू कर रहा हूँ। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा कि दस-दस, बीस-बीस साल से हमारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं। उनको या तो environment वालों ने रोक दिया होगा या कोर्ट कचहरी ने रोक दिया होगा या स्थानीय कोई छोटी बॉडी होगी, जैसे नगरपालिका, वह रोक कर बैठ गई होगी। यह इतने समय से रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, इसको कोई देखता नहीं, पूछता नहीं। कभी इसके financial कारण भी रहे होंगे, लेकिन दस-दस, बीस-बीस साल से प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। मैंने पिछले दिनों ऐसे करीब तीन सौ प्रोजेक्ट्स को खुद review किया, जिनकी वर्थ करीब 15 लाख करोड़ रुपए है। मैं इस सदन को नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि छोटे-छोटे संकटों में फंसे हुए वे सारे प्रोजेक्ट्स, 15-15, 20-20 साल पुराने स्टाल्ड प्रोजेक्ट्स आज चालू हो गए हैं, उनकी गति बढ़ रही है — इसका परिणाम अच्छा निकलेगा।

गुड गवर्नेंस का तीसरा पहलू होता है decentralisation. इतना बड़ा देश हम centralised mechanism से नहीं चला सकते। हम जितनी बड़ी मात्रा में decentralise करेंगे ...**(व्यवधान)**.... इसीलिए सरकार ने नीतिगत रूप से decentralise करने की दिशा में बड़े अहम कदम उठाए हैं, जैसे environment. हम environment की हर परमिशन को दिल्ली ले आए, एक दफ्तर में

ले गए, एक व्यक्ति के पास ले गए और इसका क्या परिणाम आया? इसका जो परिणाम आया, वह हम जानते हैं, क्या-क्या बातें सुनी गईं, क्या-क्या बातें कही गईं, किस पर क्या-क्या लगा, सब मालमू है। हमने दस रीजनल ऑफिसों को strengthen किया और इन चीजों को वहीं पर किया क्योंकि इनको वहां की समस्याओं की समझ है। वे इन चीजों को जानते हैं। उसको हमने किया। कुछ चीजें सरकार को करनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ, एक गांव के बीच में से रेल जा रही है और इधर से पानी दूसरी तरफ ले जाना है, तो इसके लिए पाइप लाइन डालने का काम पचासों परमिशनों में अटका पड़ा था और बिना पानी के एक इलाका तरसता था। ब्रिज बन गया है, दोनों तरफ रोड बनानी है, वह अटका पड़ा है। कभी दोनों तरफ रोड्स बन गई हैं, रेल वाले ऊपर ब्रिज डालने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं। रेल, रोड, पाइप लाइन, बिजली ट्रांसमिशन, इन सबके लिए केंद्र के पास आना जरूरी नहीं है, हमने ऐसा कानून बना दिया है, हमने वहीं पर ऐसी व्यवस्था कर दी है। इतना ही नहीं, हमने राज्यों के environment clearance के rights बढ़ा दिए, राज्यों को ज्यादा अधिकार दे दिए, क्योंकि हम जितने जिम्मेवार हैं, उतने ही राज्य के लोग भी जिम्मेवार हैं और वे कोई देश को बरबाद करना नहीं चाहते हैं।

हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए नदी में से बालू निकालने की परमिशन लेनी होती है। हर नदी परमिशन के लिए दिल्ली तक इंतजार करती है। हमने इसको राज्य नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दे दिया। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उस पर निर्णय करेगी और वह तय करेगी। ऑनलाइन प्रक्रियाओं को लोग देख सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): It is a State-subject. It does not come under the Government of India.

श्री नरेंद्र मोदी: पहले रेलवे की सारी टेंडर प्रक्रिया यहां होती थी। आज हमने इसको जोनल जनरल मैनेजर के अधीन कर दिया। अब टेंडर प्रक्रिया वहीं से चल रही है और गति से चल रही है। पहले तीन सौ करोड़ या पांच सौ करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स भी कैबिनेट के अप्रूवल के लिए आते थे, इस कारण इंतजार करना पड़ता था। हमने तय कर दिया कि वह मिनिस्ट्री करेगी, अगर वह एक हजार करोड़ रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट होगा, तभी उसको कैबिनेट में लाना है। उन कामों को आगे बढ़ाएं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने decentralisation के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

गुड गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण बात होती है effective delivery. अब यहां जन-धन अकाउंट की चर्चा हो रही है। हमारे माननीय नेता, विरोधी दल ने भोपाल के अच्छे उदाहरण दिए। मैं गुलाम नबी जी का बहुत आभारी हूँ कि जो विपक्ष को करना चाहिए, वैसा सटीक काम उन्होंने किया। भोपाल जिले में किस गांव में कौन जन-धन अकाउंट से रह गया है, उसकी रिकॉर्डिंग तक करके ले आए। यही होना चाहिए, तभी एग्जिक्यूटिव अकाउंटेबल बनेगी। इस सदन के सदस्यों का यही काम होता है। यह मुद्दा, मेरी सरकार तेरी सरकार का नहीं होता है और मैं मानता हूँ कि यह सही दिशा में प्रयास है। उसमें तथ्य क्या हैं, वह कल अरुण जी ने कह दिया, मैं तथ्य की चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस प्रयास को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि कभी-कभार नीचे की व्यवस्था से खबर आती है और हम मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष सजग रहा, उसने देखा और कितनी मेहनत की! अगर सत्ता में इतनी मेहनत की होती तो जन-धन अकाउंट का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। ...**(व्यवधान)**... बाल की खाल उधेड़ी, लेकिन फिर भी अच्छा किया। साहब, आपने माइक्रोस्कोप लेकर देखा, मोदी कह रहा है जन-धन है, देखो यार, कहीं तो कोने में कोई होगा।

[श्री नरेंद्र मोदी]

आप माइक्रोस्कोप लेकर निकले, लेकिन आपने इतने साल माइक्रोस्कोप नहीं, अगर binocular से देखकर भी काम किया होता तो आज यह मेहनत करना मेरे जिम्मे नहीं आता। आज आप माइक्रोस्कोप लेकर घूम रहे हो, अच्छा होता जब सत्ता में थे, binocular से ही देखकर काम का निपटारा करने का प्रयास किया होता। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम effective delivery पर बल दें, वरना कभी last mile delivery — हमारे यहां जो-जो सरकार में रहे, उनको मालूम है। हम उसमें जितना भी पुरुषार्थ करें, करना चाहिए।

हमारे सीताराम जी ने एक विषय छेड़ा था। उन्होंने कहा था कि targeted subsidy के नाम पर आप सब्सिडी कम कर रहे हो। वैसे यह उनके नेचर का विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने क्यों बोल दिया, यह समझ में नहीं आता है। हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ चीजें करनी भी पड़ती हैं। मैं चंडीगढ़ शहर का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। चंडीगढ़ शहर में ज्यादातर घरों में बिजली है, ज्यादातर घरों में गैस कनेक्शंस हैं, उसके बावजूद वहां 30 लाख लीटर केरोसीन जाता था, जबकि वहां उसका कोई उपयोग नहीं था। वहां ऐसे कुछ परिवार थे, जिनके पास गैस नहीं थी, शायद उनको जरूरत होगी। 30 लाख लीटर केरोसीन! हमने सोचा कि जरा हम "JAM" योजना को लागू करें, हमने सर्वे किया, "आधार" का उपयोग किया, गैस कनेक्शंस का डाटा कलेक्ट किया। कुछ परिवार रह गए, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था, तो हमने एक अभियान चलाया है, जो आने वाले कुछ दिनों में शायद पूरा हो जाएगा। वहां जो 30 लाख लीटर केरोसीन जाता था, वह धन्नासेठों द्वारा बाजार में चला जाता था, पूँजीपतियों के पास चला जाता था और वे पूँजीपति लोग उसकी black marketing करते थे, डीज़ल में मिक्स करते थे, एन्वॉयरनमेंट को बरबाद करते थे। Targeted subsidy का परिणाम यह हुआ है कि धन्नासेठों और पूँजीपतियों के हाथों में जो 30 लाख लीटर केरोसीन जाता था, उनमें से बहुत सा तो बन्द हो गया, बाकी भी अब बन्द हो जाएगा और इसके कारण देश की करोड़ों रुपये की सब्सिडी बचेगी। तीसरा, इससे देश को इम्पोर्ट करने में भी राहत मिल जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस काम को कर रहे हैं, इससे सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले, नियम से जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिले, समय पर मिले, इस दिशा में यह हमारा एक प्रयास है। यह रुपये बचाने का खेल नहीं है, यह व्यवस्था में transparency लाने का, leakages बन्द करने का, दलालों को निकालने का एक उत्तम प्रकार का प्रयास है। अगर उसमें भी कुछ कमियां हैं, तो ठीक करनी हैं और आप लोगों का उसमें सहयोग मिलेगा, कहीं से भी जानकारी मिलेगी तो उसको ठीक करने में सुविधा बढ़ेगी। मैं सबको निमंत्रण देता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात ध्यान में आए, तो सरकार के ध्यान में जरूर लाइए, ताकि हम इसको कर पाएँ। हमारे माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने एक विषय स्किल डेवपलमेंट का निकाला। आपने कहा कि प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने इसको शुरू किया था, वगैरह-वगैरह। वैसे हमारे देश में स्किल की परम्परागत प्रथा है, लेकिन हर सरकार ने किसी न किसी रूप में प्रयास किया है। अब बात कहां जाकर के अटकती है। मान लीजिए, आज हम गंगा की सफाई करते हैं। ...**(व्यवधान)**... तो स्वाभाविक रूप से वहां से आवाज उठेगी कि यह तो हमने शुरू किया था। श्रीमान् राजीव गांधी जी ने इस पर बल दिया, क्यों दिया? अब सवाल यह उठता है कि उसका क्रेडिट लेने के उत्साह में शुरू किया, तो यह भी जवाब देना पड़ेगा कि 30 साल के बाद गंदी क्यों है? अगर शुरू किया था, तो 30 साल के बाद गंगा गंदी क्यों है, क्या कमी रही? इसीलिए हर बार कहेंगे कि यह तो हमारे समय में हुआ था, इस उत्साह का अपना एक महत्व है। श्रेय लेने का प्रयास करने में कोई बुराई है, ऐसा नहीं

है, आपका मन करेगा। देखिए, दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वे, जो कार्य करते हैं और दूसरे वे, जो उसका श्रेय लेते हैं। ...**(व्यवधान)**... हां, इनमें से पहली तरह का व्यक्ति बनने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें कम्पटिशन बहुत कम है। यह बात श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कही थी। ...**(व्यवधान)**... अब स्किल डेवलपमेंट ...**(व्यवधान)**... वर्ष 2008 में, मैं मानता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट, जो पिछली सरकार में चला, उसमें एक स्किल की मास्टरी आ गई और वह मास्टरी थी — कमेटियां बनाना और कमेटियां बिखेरना, उसमें मास्टरी आ गई, स्किल डेवलपमेंट वह हुआ। 2008 में पी. एम्स. नेशनल काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोआर्डिनेशन डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, फिर 2009 में नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट बनी। कमेटियां पर कमेटियां, कमेटियों पर कमेटियां बनीं, लेकिन उनकी मीटिंग्स नहीं होती थीं। दो-ढाई साल के बाद अचानक एक कमेटी की मीटिंग कर ली गई थी, वह भी इसलिए कर ली गई थी कि अगली मीटिंग कब करेंगे। आखिरकार इतनी सारी कमेटियों के बाद 2013 में यह तय कर लिया गया कि नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई जाए और बाकी सब दुकानें बंद कर दी जाएं। सर, यह स्किल डेवलपमेंट का हाल था! स्किल डेवलपमेंट के विषय में आप अज्ञानी नहीं थे, आपको इसका ज्ञान था कि यह जरूरी है। देश में इतनी बड़ी संख्या में नौजवान हैं, यह करना चाहिए। कभी-कभार महाभारत याद आता है, "जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः"। ज्ञान तो बहुत था, लेकिन करना प्रवृत्ति नहीं थी। ...**(व्यवधान)**... मैं यह कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, 2014 में हमने अलग स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, स्किल डेवलपमेंट स्कीम के लिए कॉमन नॉर्स तय किए। Skill initiative, consistent quality हासिल करने के ऊपर बल दिया गया। एनएसडीसी के तहत हमने उसमें डेढ़ साल में ढाई गुणा बढ़ोतरी की। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशन, आईटीआई में हमने डेढ़ साल के भीतर 20 परसेंट इजाफा किया, पिछले 2 वर्ष में क्षमता 15 लाख 23 हजार सीटों से बढ़कर 18 लाख 65 हजार कर दी गई है। इसमें हमने 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। एक लाख 70 हजार प्रति वर्ष जो तय होते थे, उसमें हमने 53 हजार और जोड़ दिए। पहले 10th और 12th क्लास के लिए वोकेशनल एजुकेशन करीब 1,200-1,300 स्कूलों में चलती थी, आज हमने एकदम क्वांटम जम्प लगाकर उसको 3,000 पर पहुंचा दिया है। इसके लिए डेढ़ लाख अतिरिक्त छात्रों को लाभ हुआ है। International mobility — एक बात मानकर चलें कि वह समय आएगा जब दुनिया की नजर हिन्दुस्तान के वर्कफोर्स पर रहने वाली है। हमें अभी से ग्लोबल स्टैंडर्ड का वर्कफोर्स तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें international mobility पर बल देना चाहिए और इसके लिए आस्ट्रेलिया और यूके के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन पर मैच होते हुए हमने काम शुरू किया है तथा और भी रिकवायरमेंट के अनुसार उस स्टैंडर्ड को लेने की दिशा में हम काम करना चाहते हैं। एप्रेन्टिसशिप — किसी न किसी कारण से हमने एप्रेन्टिसशिप की एक ऐसी अवस्था बना दी कि सब उद्योगों के व्यापारी दरवाजे बन्द करके बैठ गए कि जॉब्स में घुसने ही नहीं देते और कहते हैं कि किसी को नौकरी का एक्सपीरिएंस है क्या? वह एक्सपीरिएंस लेने जाता है, तो दरवाजा बंद है। जब तक हम एप्रेन्टिसशिप को बल नहीं देते, हमारे नौजवानों को एक्सपीरिएंस नहीं मिलेगा, तो उनको जॉब एपोर्चुनिटी नहीं होगी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एप्रेन्टिसशिप के ट्रेनी, जो पहले 3,12,000 थे, एक-सवा साल के भीतर 2,70,000 उसमें और जोड़ दिए।

पहले हमारे यहां टारगेट होता था कि कितने बच्चों को तैयार किया। उसी को पूरा करने की दिशा में प्रयास था। मार्केट में रिकवायरमेंट क्या है, किस प्रकार के syllabus की जरूरत है, किस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है, हमने इसका सर्वे किया और according to that हमने स्किल

[श्री नरेंद्र मोदी]

डेवलेप किया, ताकि जॉब के साथ उसको कनेक्ट किया जाए और उसको उसका काम दिया जाए। हमने इस दिशा में प्रयास किया है। हमारे देश में manufacturing को बल देना ही होगा, यह हम सब जानते हैं। कोई भी सरकार हो, भाषण के लिए हम कुछ भी कहें, लेकिन manufacturing को बल तो देना ही पड़ेगा। हमने इसके कारण FDI पर बल दिया, FDI में 48 per cent के करीब बढ़ोतरी हुई। 2015 में electronic manufacturing में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है, 2015 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ है। हमारे मेजर पोर्ट्स 2015 में सबसे ज्यादा हैंडलिंग हुए हैं, 2015 में सबसे ज्यादा कार उत्पादन हुआ है। हमारे यहां 50 नई मोबाइल कंपनियां manufacturing के लिए आई हैं। ये सारी बातें स्किल और रोजगार के साथ जुड़ने वाली हैं और स्किल और रोजगार की दिशा में ये हमारे काम करने वाले प्रयास हैं। उसका परिणाम यह होगा कि हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं बनेंगी, ease of doing business में हमने 12 रैंक पर क्वांटम जम्प लगाया है, हम ऊपर आ गए हैं। World Economic Forum के global competitive index में हम 16 स्थान ऊपर गए हैं। Moody ने जो हमारे लिए अपग्रेडेशन दिया है, वह हमारे लिए पॉजिटिव दिया है। जो ग्लोबल एन्वायरमेंट में भारत की साख को बढ़ाता है, भारत की ताकत की पहचान कराता है। एम्प्लॉइमेंट की चर्चा-स्किल डेवेलपमेंट हो, manufacturing sector में बढ़ावा हो, रोजगारी के लिए मानदंड के रूप में एक इंस्टिट्यूट को मान्यता मिली हुई है, most employment index यह online recruitment के आधार पर एनॉलिसिस करता है। जनवरी 2016 में index 229 था, 2014 में यह सिर्फ 150 था और आज आप देख सकते हैं कि 150 से बढ़ाकर 229 index को हम पार कर गए हैं। हमने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको टैक्स के अंदर सुविधाएं दी हैं, स्टार्टअप को बल दिया है, हमने तीन साल के लिए टैक्स में रियायत दी है, ताकि नौजवानों को स्टार्टअप के लिए मौका मिले। मुद्रा बैंक के द्वारा करोड़ों लोगों को हमने धन दिया है। जो पुराने थे, उन्होंने एक्सपेंशन किया है, एक्सपेंशन के कारण उनको एक-दो और लोगों को रोजगार देने का अवसर मिला है। इसमें भी ज्यादा एस.सी./एस.टी. और वूमेन हैं। मुद्रा के सबसे ज्यादा लाभार्थी एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. एंड वूमेन हैं। नए उद्योग तो लगेगे ही। इसके लिए हमने टैक्स 25 परसेंट रख दिया है, और कोई बेनिफिट अगर लेना चाहता नहीं है तो यह बेनिफिट मिलेगा। आपने इस बजट में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुना होगा कि हम पूंजीपतियों की चर्चा करते हैं। जो लोग फर्स्ट यूपीए में सरकार का समर्थन करते थे और वे जो पूंजीपतियों का विरोध करके अपनी दुकान, अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं, आप देखिए कि हमारे देश में जो बड़े-बड़े मॉल्स हैं, वे तो सात दिन चल सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर एक छोटा दुकानदार अपनी दुकान सात दिन तक खुली नहीं रख सकता है। हमने इस बार बजट में घोषणा की है कि छोटे दुकानदार भी अपनी दुकान सात दिन चला सकते हैं, देर रात तक चला सकते हैं। इसका परिणाम यह आने वाला है कि हर छोटा दुकानदार एक नये काम वाले को रखेगा। एक-एक दुकान पर एक नये व्यक्ति के रोजगार की संभावना होने वाली है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में यह महत्वपूर्ण काम उस रोजगार की दिशा में होने वाला है।

सभापति जी, मैं किसानों के संबंध में भी थोड़ी बात करना चाहता हूं। जब हमने कहा कि क्यों न देश, जिसमें किसान हो, प्रोग्रेसिव किसान हो, राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकार हो, हम सभी मिलकर — मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया है — क्यों न हम सभी मिलकर यह लक्ष्य तय करें कि 2022 में किसान की इनकम डबल हो ...(व्यवधान)...

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): आज जो इनकम है ...(व्यवधान)...

श्री नरेंद्र मोदी: रजनी ताई ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठ जाइए! ...(व्यवधान)... बैठ जाइए! ...(व्यवधान)... Please, don't interrupt. ...*(Interruptions)*.. Please, sit down.

श्री नरेंद्र मोदी: मैं डा. मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन जिस अवस्था में पला-बढ़ा हूँ, मैंने गरीब किसानों को नजदीक से देखा है ...(व्यवधान)... इसलिए मुझे बड़ा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन छोटी चीजों का पता है कि अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो परिणाम मिलेंगे। मैं कहूंगा कि हमारे देश में इस विषय के एक जानकार हैं, श्रीमन् एम.एस. स्वामीनाथन जी, मैं उनके एक लेटेस्ट आर्टिकल से कुछ क्वोट करना चाहता हूँ, "Seeds have been sown for agricultural transformation and for attracting and retaining youth in farming. The dawn of a new era in farming is in sight." अब बताइए किसान की आय दुगुनी हो सकती है या नहीं हो सकती है? मतलब, हम जो सॉयल हेल्थ कार्ड के काम को लेकर चले हैं, अगर हम उसको सफलता से लागू करें और किसान सॉयल हेल्थ कार्ड की एडवाइज के अनुसार अपनी जमीन का उपयोग करना शुरू करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, इनपुट कॉस्ट कम हो सकती है। आज किसान की मुसीबत यह है कि अगर पड़ोसी ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी, तो उसको लगता है कि मैं भी लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दूँ, अगर पड़ोसी ने पीले डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो वह भी पीले डिब्बे वाली दवाई डाल देता है, अगर पड़ोसी ने इतने किलोग्राम यूरिया डाल दिया, तो वह भी उतना ही डालेगा। उसकी जमीन इसके योग्य है या नहीं है, वह नहीं देखता। अगर हम कोशिश करें, हमारी एग्रीकल्चर युनिवर्सिटीज़, हमारे एग्रीकल्चर एग्ज्यूकेटिव्स, अगर सारे लोग इसमें लगे और जो सॉयल टेस्टिंग का काम चला है, उसको खेती के साथ सीधा जोड़कर आगे बढ़ें तो इसके परिणाम ला सकते हैं।

हम टिम्बर इम्पोर्ट करते हैं। अगर हम अपने किसानों को, जहां उसकी जमीन की सीमा समाप्त होती है, वहां वह एक-दो मीटर जमीन बरबाद करता है..। वह बाड़ लगा देता है, इससे एक मीटर जमीन उधर वाले की जाती है, एक मीटर जमीन इधर वाले की जाती है। अगर वे दोनों मिल कर टिम्बर की खेती करें, पेड़ लगा दें, तो 15-20 साल में यह permanent income का source बन सकता है। उस दिशा में काम करने से जमीन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि जमीन को अतिरिक्त फायदा होने वाला है।

हम कृषि के साथ fisheries, poultry, animal husbandry, milk production, दूसरा value addition कर रहे हैं। इनकम बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि agro product ही बढ़े। अभी हमने एक निर्णय किया। हमने कोका कोला कंपनी के ऊपर दबाव डाला, उससे बातचीत की, लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाई और हमने आग्रह किया कि आप कोका कोला के अन्दर 5 per cent natural orange juice mix करिए। मुझे खुशी है कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ और विदर्भ के अन्दर जो संतरा पैदा होता है, वह संतरा अब कोका कोला के अन्दर 5 per cent mix होगा, तो विदर्भ के किसान का संतरा बिकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें value addition की दिशा में प्रयास करना होगा। अगर किसान आलू बेचता है, तो कम कमाई होती है, लेकिन अगर वह वेपर बना कर बेचता है, तो ज्यादा कमाई होती है। अगर वह हरी मिर्च बेचता है, तो

[श्री नरेंद्र मोदी]

कम कमाई होती है, लेकिन वह लाल मिर्च का पाउडर बना कर बेचता है, तो ज्यादा कीमत मिलती है। हम लोगों ने value addition पर बल देना शुरू किया है, जिसके कारण हमारे किसान की इनकम में बढ़ोतरी होना पूरी तरह लाजिमी है।

उसी प्रकार से 'blue economy' है। हमारे जो समुद्री क्षेत्र हैं, वहां fisheries में हमारे fishermen लगे हैं। हमारे समुद्री तट पर seaweed की खेती हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। आज दुनिया में pharmaceutical की manufacturing में base material के लिए seaweed बहुत बड़ी ताकत बन कर उभरा है। हमारे fishermen के परिवार समुद्री तट पर आराम से seaweed की खेती कर सकते हैं। अगर हम seaweed की marketing और अपने farmers के साथ उनका tie-up करें, तो हम अपने fishermen की इनकम भी बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो सोचते हैं कि agriculture sector में हम किसानों की आय नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से काम करें, तो निराशा का कोई कारण नहीं है।

उसी प्रकार से National Agriculture Market है। आज National Agriculture Market के द्वारा, e-platform के द्वारा किसान अपने गांवों में बैठ कर यह तय कर सकता है कि अगर महाराष्ट्र के अन्दर उसकी पैदावार की कीमत ज्यादा है, तो वह वहां बेच सकता है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर यह सरकार इसको launch करने जा रही है। किसान को जहां ज्यादा कीमत मिलेगी, उस मार्केट में जाने की सुविधा उसको मिलने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसान की आय बढ़ा सकते हैं।

हमारे यहां दुनिया में honey की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन भारत में हमारे कृषि क्षेत्र में honey bee के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से कोई प्रयास नहीं हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन तक available नहीं है। हमने इस पर बल दिया है। अगर इस पर हमारा किसान काम करता है, तो उसकी आय बढ़ सकती है। Honey bee के बिगड़ने का सवाल नहीं होता है, यह लंबे अरसे तक रहता है। हमारे किसान की इनकम में वह अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकता है। किसान की इनकम बढ़ाने के लिए और पहलुओं पर बल देने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।

चेयरमैन श्री, यहां पर स्वच्छता की चर्चा हुई और यह कहा गया कि यह काम तो हमारे समय में भी चलता था। हमने किसी चीज की बात नहीं कही है, यह सब आप ही की देन है। हम कभी क्लेम नहीं करते कि यह हमारी देन है। यह आप ही की देन है कि आज हमको दिन-रात मेहनत करके स्कूलों में 4 लाख टॉयलेट्स बनाने पड़े। अगर आपने बना कर दिए होते, तो हमारा वह काम कम हो जाता। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि समस्याएँ पुरानी हैं। समस्याएँ नई नहीं हैं। समस्याओं का समाधान करने के प्रयास अविरत चले हैं, हर किसी ने अपने-अपने समय उसमें कुछ न कुछ जोड़ने का प्रयास किया है, उस समय की स्थिति के अनुसार, available resources के अनुसार। हमने भी एक प्रयास किया है और यह खुशी की बात है। देखिए, 1986 में Central Rural Sanitation Programme आया था, तब से लेकर अब तक रिकॉर्ड पर ये चीजों अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक हम परिणाम प्राप्त नहीं कर सके। अगर हमें परिणाम प्राप्त करना है, तो हमें जन आन्दोलन खड़ा करना पड़ेगा और आज मैं इस बात को संतोष के साथ कह सकता हूँ कि हमारा स्वच्छता अभियान, एक जन-आन्दोलन बनने की दिशा में आगे जा रहा है। देश आज़ाद होने के बाद से हमारी संसद में स्वच्छता पर कभी भी डिबेट नहीं हुई

थी, लेकिन इस देश की पार्लियामेंट में पहली बार दो-दो, तीन-तीन घंटे तक स्वच्छता पर चर्चा की गई। हो सकता है कि उसमें सरकार की आलोचना भी हुई होगी, लेकिन कम से कम इस सदन और उस सदन के लोग इस बात पर sensitize तो हुए हैं कि अब इसे ऐसे ही नहीं चलते रहने देना चाहिए, इसे बदलना चाहिए। अब स्वच्छता को लेकर एक अच्छा माहौल बन रहा है। इस अभियान को और अधिक बल कैसे दिया जाए, हम सब उसी दिशा में सोचें। कोई दावा नहीं करता है कि हम ही इसको लाए हैं, हमारे बाद जो कोई आएंगे, वे इसको और इंप्रूव करेंगे और उनके बाद जो आएंगे, वे उनसे भी आगे बढ़कर इसको इंप्रूव करेंगे। हो सकता है कि एक समय ऐसी स्थिति आ जाए कि यह करना ही न पड़े, यह जन-सामान्य का विषय बन जाए। लेकिन अभी हमें इस पर काम करना होगा।

महोदय, अभी हमने शहरों में challenging mode में competition शुरू किया है। Ministry of Urban Development इसे कर रही है। उसका परिणाम यह आया है कि आज शहरों में, उस शहर की इलेक्ट्रेड बॉडी पर सफाई के लिए दबाव बढ़ रहा है कि उस स्ट्रीम में हमारे शहर का नाम क्यों नहीं है? मैं बनारस का एमपी हूं और बनारस के नागरिक बनारस की म्युनिसिपैलिटी पर यह दबाव डाल रहे हैं कि भाई, क्या बात है? स्वच्छता के अन्दर बनारस नज़र क्यों नहीं आ रहा? इस तरह जनता का प्रेशर बढ़ रहा है और यह बढ़ना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूं जहां-जहां पर आप हैं, आप भी अपने शहर में इस तरह के प्रेशर को बढ़ाइए और वहां सरकार को मजबूर कीजिए, इलेक्ट्रेड बॉडीज़ को मजबूर कीजिए। स्वच्छता को हम अपने देश का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानें। महात्मा गांधी जी का जो सपना था, 2019 तक उसे पूरा करना हम सबका दायित्व क्यों नहीं हो सकता है?

मेरा सभी माननीय सदस्यगणों से आग्रह है कि यह कार्यक्रम इस सरकार या उस सरकार का नहीं हो सकता है, यह हम सबका होना चाहिए। मैं देख रहा हूं, मीडिया वाले दुनिया भर के विषय पर हमारी आलोचना करते हैं, सरकारों की आलोचना करते हैं, लेकिन केवल यही एक ऐसा विषय है, जिसमें देश का मीडिया पार्टनर बना है। कहीं न कहीं मीडिया के लोग भी इस काम को कर रहे हैं, वे खुद कार्यक्रम करवा भी रहे हैं और उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। हम भी इसे सबका कार्यक्रम बनाएं। यह देश में टूरिज़्म को बढ़ाने के काम भी आएगा। जो इसका विरोध करते हैं, उनके लिए तो यह सबसे पहले करने जैसा काम है। WHO, जो एक International Agency है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि गंदगी के कारण गरीबी में जीने वाले परिवारों को सालाना on an average 7,000 रुपये दवाइयों पर खर्च करने पड़ते हैं। अगर उनकी बीमारी जाएगी, तो इससे देश की कितनी बड़ी सेवा होगी। मैं मानता हूं, यह काम ऐसा है, जो वास्तविक सेवा में आता है। जिन्होंने इस काम को किया है, उन्हें हम और आगे बढ़ाएं और जितना किया है, उसको और अधिक करें। अगर हम इसे एक सेवा के रूप में करेंगे, तभी हम इस देश को आगे बढ़ा सकेंगे।

अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहां मैंने एक आदिवासी मां के पैर छुए। वे पढ़ी-लिखी नहीं थीं, 90 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र थी, लेकिन उस मां ने अपनी तीन बकरियां बेचकर टॉयलेट बनवाया था। वह उस गांव में पहली महिला थी, जिसने टॉयलेट बनवाया था। हम लोगों के लिए इससे बड़ा इन्सिपेरेशन और क्या हो सकता है? मैं चाहूंगा कि इसको सरकारी कार्यक्रम, पक्ष का कार्यक्रम, इस सरकार अथवा उस सरकार के कार्यक्रम की सीमाओं में न बांधें, इस पर आप सब देश हित में सोचें। अगर हम इस प्रकार इसे अपनाएं, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा प्रयास होगा।

[श्री नरेंद्र मोदी]

3.00 P.M.

कल हमारे सीताराम जी, उनकी जो बेसिक फिलॉसोफी है, उसको प्रकट कर रहे थे कि इतने एग्जम्प्टेंस मिले, इतना यह मिला, उतना वह मिला और पता नहीं कहां-कहां से उन्होंने आंकड़े दिए, यह तो भगवान जानें।

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिमी बंगाल): आपके बजट से ही लिए थे।

श्री नरेंद्र मोदी: जी हां, जी हां, वह मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मुझे वे आंकड़े नहीं मिले। हो सके तो बाद में उनके बारे में बता दीजिएगा, लेकिन मैं कुछ और आंकड़े भी बताना चाहता हूं। यह जो tax exemption है, जरा हम देखें कि 10,350 करोड़ रुपये का एग्जम्पशन दिया है, किसमें दिया है, दाल और सब्जी में दिया है। क्या हम उसका विरोध करेंगे? 5,800 करोड़ रुपये exemption, किसके लिए है—चीनी के लिए है। शरद पवार जी बगल में बैठे हैं, साथ में आपको समझा देंगे। 19,120 करोड़ रुपये exemption, किसके लिए है—जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के उद्योगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए है। क्या हम उसका भी विरोध करेंगे? मैं समझता हूँ कि कभी-कभार बारीकियों में जायें, तो हमें पता चलेगा कि हमारी जिन बातों को लेकर आपको चिन्ता हो रही है, यही सरकार है— कल अरुण जी ने बड़े विस्तार से बताया और फाइनेंस की जब चर्चा होगी, तो बतायेंगे कि हम टैक्स किस पर लगा रहे हैं और टैक्स से मुक्ति किसको दे रहे हैं। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो चीजों हमें विरासत में दी हैं— कभी आपने बाहर से समर्थन करके सरकारें चलाई, उन्होंने जो चीजें विरासत में दी हैं, आज उन्हीं की सफाई करने में हमारा दम उखड़ रहा है।

अंत में, मैं एक मशहूर शायर निदा फ़ाज़ली, जिनका अभी-अभी स्वर्गवास हुआ, उनकी कही हुई बात को कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा:

“सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।

सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।

किसी के वास्ते, राहें कहां बदलती हैं?

तुम अपने आपको खुद ही बदल सको तो चलो।

यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता।

मुझे गिरा के अगर तुम सम्भल सको तो चलो।

यही है जिन्दगी, कुछ ख़्वाब चंद उम्मीदें।

इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो।”

बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: I thank the hon. Prime Minister. ...(*Interruptions*)... I shall not take up the amendments. ...(*Interruptions*)....

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, the normal procedure here is that when the hon. Prime Minister takes our names, we can ask clarifications. ...*(Interruptions)*... Sir, this is a normal procedure. ...*(Interruptions)*... You have allowed it during the course of the last nine years. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I want to make only one point. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: You have allowed it for the last nine years. ...*(Interruptions)*...

LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): I totally agree with Sitaram Yechuryji. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION; AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): He was just referring to names. That is all. ...*(Interruptions)*... Moreover, we are having new practices. When the Prime Minister comes here and gives speech, you don't even give him a patient hearing and commentaries go on. It hurts me; I am sorry to say it. ...*(Interruptions)*... I am sorry to say it. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: We are not asking for speech. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let's not get into it. ...*(Interruptions)*... Let's not get into it. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: We are asking for some clarifications. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Mani Shankar Aiyar, please sit down.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: They won't let Dr. Manmohan Singh speak... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Yechuryji, please sit down. ...*(Interruptions)*... Yechuryji, I think, we went over this on a similar occasion earlier also. The practice of this House is that clarifications are sought and given when there is a *suo motu* statement. This is a motion which has been debated for over 11 hours. Now, the amendments have been moved. Those, who have a point of view on Rashtrapatiji's Address, have moved amendments. So, what is your point now?

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, you are very well-versed with international diplomacy as well, not only the Parliament's practices.

MR. CHAIRMAN: This is not international diplomacy.

SHRI SITARAM YECHURY: I am saying that not only with the Parliamentary practices, but also with the international diplomacy. When the names are taken, they have the legitimate right to reply. ...(Interruptions)... Otherwise, the hon. Prime Minister could have replied to the issue. When names are specifically taken, why don't you allow us to even clarify?

MR. CHAIRMAN: That will become an endless debate.

SHRI SITARAM YECHURY: How can it be?

MR. CHAIRMAN: Mr. Yechury, it will become an endless debate. I have carefully checked the practice of this House. Except on one occasion in recent times, no interventions have been allowed.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I have been asked a question saying from where I got the figures.

MR. CHAIRMAN: I think you replied to the hon. Prime Minister.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, it is from page No. 66 of the Revenue Budget. ...(Interruptions)... Hon. Prime Minister may note that on page No. 66 of the Revenue Budget, this whole chart is there.

MR. CHAIRMAN: All right. You have now replied to it. ...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: So, he should not talk about the veracity of this. ...(Interruptions)... That is wrong. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Now, let us get on with the amendments. I shall now put the amendments, which have been moved, to vote.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up Amendments (Nos. 72-81, 94, 95, 111, 124-126, 170 and 171) by Shri Ritabrata Banerjee. Mr. Banerjee, are you withdrawing the amendments?

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): No, Sir, I am not withdrawing the amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not withdrawing the amendments. I am now putting the Amendments (Nos. 72-81, 94, 95, 111, 124-126, 170 and 171) to vote. The question is:

72. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the growing

intolerance manifesting the violence and spread of communal polarization in the country."

73. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the high incidence of suicide among Dalit students in the country which is pointing to the continuing discrimination, exclusion and humiliation."

74. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to curb the unprecedented rise in prices of all essential commodities."

75. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the guidelines for the Government in regard to liberalizing Foreign Direct Investment (FDI)."

76. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the deprivation of vast majority of poor people to get food under Public Distribution System in the country."

77. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to re-define poverty line thus depriving a majority section of people from right to subsidized food in the country."

78. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the violent protests and subsequent loss of lives and properties including burning down of railway station in Haryana on the question of reservation."

79. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about huge increase of NPA's Public Sector Banks affecting their financial health."

80. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the corporate defaulters of Public Sector Banks."

81. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to tackle the huge unemployment problem in the country."

94. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret the address fails to mention the innumerable cases of suicide by the farmers during last few years in various parts of the country."

95. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about failure of the Central Government agencies to unearth the Chit Fund Scam in West Bengal and other States and give relief to the affected people."

111. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely,

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take effective steps to provide universal right to at least 35 kg of foodgrains at two rupees a kilo."

124. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the reason why the Government has raised the excise duty 7 times on petrol and diesel even when the prices of crude oil in the international market is declining. This is leading to rise in the prices of all essential commodities."

125. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely,

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to take effective steps to provide the life saving medicines at subsidized rate and steps taken by the Government to ensure effective Drug Pricing Policy which will control the abnormal rise in the prices of medicines."

126. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely,

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to ensure universal coverage irrespective of schedules and to fix statutory minimum wage at no less than ₹ 10000."

170. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government to control the ongoing attack on students and journalists."

171. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret the Address fails to mention the large number of starvation deaths of the tea garden workers in various gardens of northern part of West Bengal in the last one year."

*The Amendments (Nos. 72-81, 94, 95, 111, 124-126, 170 and 171)
were negatived*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, there Amendment (Nos.137 to 149) by Shri Motilal Vora. Motilal Voraji, are you withdrawing the amendments?

SHRI MOTILAL VORA (Chhattisgarh): Sir, I will withdraw the amendments only if I get an assurance from the Minister that the amendments moved by me will be taken care of.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, will the Minister take care of amendments by Shri Motilal Vora? Voraji, can you explain the amendments? You say what you want. Kindly explain what you want the Government to do in this.

SHRI MOTILAL VORA: Sir, I want these amendments to be fulfilled. If I get the assurance, then I can withdraw the amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: With regard to the amendments, either we have to accept or reject. That is the only way. But you can explain the contents of the amendments.

SHRI MOTILAL VORA: I am quoting now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You mention the specific issue.

श्री मोती लाल वोरा: महोदय, अभिभाषण में छत्तीसगढ़ की रायपुर-धमतरी रेल लाइन जो नैरोगेज है उसे ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अभिभाषण में छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन जो पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से अधर में लटकी हुई है, का कोई उल्लेख नहीं है।

THE MINISTER OF FINANCE; THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS; AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, as far as the amendment moved by him is concerned, I will certainly bring it to the notice of the hon. Railway Minister so that he gives due consideration to this matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, the Finance Minister has said that it will be brought to the notice of the hon. Railway Minister so that the Railway Minister will give due consideration. ...*(Interruptions)*... On that assurance, the amendments are withdrawn.

The Amendments (Nos. 137 to 149) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up Amendment Nos. (152 to 169) by Shri D. Raja. Are you withdrawing the amendments?

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I am not withdrawing. In the reply given by the Prime Minister, he has not addressed some of the fundamental issues which I have raised in my amendments. These issues are, repeal of sedition law, increasing atrocities on dalits ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, what do you want?

SHRI D. RAJA: There is the issue of women reservation. I had several questions but the Prime Minister has not addressed. So, I am pressing for the amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The amendments are not withdrawn. He has moved the amendments. I shall now put the Amendments (Nos. 152 to 169) to vote. The question is:

152. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of the move to do away with the minority status of the Aligarh Muslim University and Jamia Milia Islamia."

153. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not express its serious concern over the efforts being made by certain State Governments to recast curricula in schools by dropping poems and books of western writers in the name of inculcating a sense of desi values and restricting western culture."

154. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not express its serious concern over the increasing incidents of atrocities on people of Dalit communities in the country."

155. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the need to repeal the archaic sedition law which is not needed in the democratic India."

156. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of attempt to take away the land rights of tribals given under the Forest Rights Act to facilitate coal mining in certain tribal villages."

157. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the need to enact a central legislation for the welfare and security of the agricultural workers in the country."

158. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not take note of the attempts being made by the Government to curtail trade union rights of the workers in the name of "ease of doing business".

159. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not take note of the prevailing crisis in the agriculture sector and increasing incidents of farmers committing suicide in the country."
160. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not express its concern over the abnormal increase in the Non-Performing Assets (NPAs) of the public sector banks and writing off a total ₹ 1.14 lakh crore of bad debts between the financial years 2013 and 2015."
161. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not take note of the continuous, slow down in the growth rate of economy."
162. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not take note of the continuous decline in India's export during the last 15 months."
163. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not express its serious concern over the delay in passing the legislation on Reservation of women in the Parliament and State Assemblies."
164. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not take note of the deteriorating quality of education particularly at the higher level in the country."
165. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not express its serious concern over the increasing commercialisation of education sector making it impossible to get quality education to the common people."
166. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not take note of the deteriorating condition of the public health facilities in the country compelling the poor patients to avail medical treatment from costly private medical institutions."
167. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—
"but regret that the Address does not express its concern over the increasing incidents of crime against women and children in the country."

168. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the failure of the Government to solve the problem of unemployment particularly of the educated youth in the country."

169. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention the need to pay sustainable wages to the Anganvadi and ASHA workers in the country."

The Amendments (Nos. 152 to 169) were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up Amendment (Nos. 275 to 278) by Dr. Pradeep Kumar Balmuchu. Are you withdrawing the amendments?

DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU (Jharkhand): Sir, I am withdrawing the amendments.

The Amendments (Nos. 275 to 278) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up Amendments (Nos. 279 to 282) by Shri Avinash Pande. Are you withdrawing the amendments?

SHRI AVINASH PANDE (Maharashtra): Sir, I am withdrawing the amendments.

The Amendments (Nos. 279 to 282) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up Amendments (Nos. 285 to 297) by Shri Husain Dalwai. Are you withdrawing the amendments?

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir, I am withdrawing the amendments.

The Amendments (Nos. 285 to 297) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up Amendments (Nos. 298 to 304) by Shrimati Renuka Chowdhury. Are you withdrawing the amendments, Mr. Dalwai?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I am withdrawing the amendments.

The Amendments (Nos. 298 to 304) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up Amendment (No. 305) by Shri Ghulam Nabi Azad. Are you withdrawing the amendment?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I am not withdrawing the amendment. I am pressing the amendment. Can I say something right now?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to say something about it?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you can speak now.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, यह जो अमेंडमेंट है, उसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने मेरा नाम लेकर उल्लेख किया। लेकिन प्रधान मंत्री जी की वह बात, जिसका उन्होंने उल्लेख किया, बहुत ही निराशाजनक थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी स्पीच में कहा था, मैं किसी दूसरे बड़े पूंजीपति से यह expect कर सकता था, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी हर वक्त कहते हैं कि मैं नीचे से आया हूँ, निचले तबके से आया हूँ। यह बहुत गौरव की बात है, लेकिन वे यह कहें कि पंचायतों के संबंध में जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने सबजेक्ट उठाया है, वह गलत है और नीचे की सतह पर, पंचायत के लेवल पर वे अनपढ़ हैं, इसलिए उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है। यह गलत बात है। ...**(व्यवधान)**...

آشری غلام نبی آزاد : سر، یہ جو امینڈمینٹ ہے، اس کے بارے میں مانٹے پردھان منتری جی نے میرا نام لیکر حوالہ دیا ہے۔ لیکن پردھان منتری جی کی وہ بات، جس کا انہوں نے حوالہ دیا، بہت ہی نرا ش جنک تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کوالیفیکیشن بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، میں کسی دوسرے بڑے پونجی پتی سے یہ امید کرسکتا تھا، لیکن مانٹے پردھان منتری جی ہر وقت کہتے ہیں کہ میں نیچے سے آیا ہوں، نیچلے طبقے سے آیا ہوں۔ یہ بہت فخر کی بات ہے، لیکن وہ یہ کہیں کہ پنچایتوں سے متعلق جو لیڈر آف اپوزیشن نے سبجیکٹ اٹھایا ہے، وہ غلط ہے اور نیچے کی سطح پر، پنچایت کے لیول پر وہ ان پڑھ ہیں، اس لیے ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔۔۔**(مداخلت)**۔۔۔

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी): नहीं, ऐसा नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

آوزیر مملکت برائے پارلیمانی امور (جناب مختار عباس نقوی) : نہیں ایسا نہیں ہے۔۔۔**(مداخلت)**۔۔۔

श्री गुलाम नबी आज़ाद: यही कहा और क्या कहा? ...**(व्यवधान)**...

جناب غلام نبی آزاد : یہی کہا اور کیا کہا؟۔۔۔**(مداخلت)**۔۔۔

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: उन्होंने वोट के लिए कभी नहीं कहा।

جناب مختار عباس نقوی : انہوں نے ووٹ کے لئے کبھی نہیں کہا۔

श्री गुलाम नबी आज़ाद: यही कहा।

جناب غلام نبی آزاد : یہی کہا

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: उन्होंने शिक्षा के प्रति कहा कि शिक्षित होना चाहिए, लेकिन वोट के लिए नहीं कहा।...(व्यवधान)...

†جناب مختار عباس نقوی : انہوں نے شکشا کے تئیں کہا کہ شکست ہونا چاہیے، لیکن ووٹ کے لئے نہیں کہا۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, my Amendment is....(Interruptions)... Sir, my Amendment is, Constitution में 73वां अमेंडमेंट आया, जिसके माध्यम से राजीव गांधी जी ने विमेन के लिए 33 परसेंट रिजर्वेशन का प्रावधान किया। हमारा संविधान जब से बना है, पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक, एमपी-एमएलए के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की गई है। जब राजस्थान और हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट्स ने ऑर्डिनेंस इश्यू किया और पंच तथा सरपंच के लिए आठवीं और दसवीं क्लास की एजुकेशन निर्धारित की, तो उसके चलते सबसे ज्यादा नुकसान हमारी बहनों को हुआ, चाहे वे बहनें किसी भी कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी की हों। उससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारी ऐसी बहनों और बहू-बेटियों को हुआ, जो दलित थीं, बैकवर्ड थीं, अल्पसंख्यक थीं या वे अपर कास्ट की मेजोरिटी कम्युनिटी की थीं। जो पढ़ी-लिखी नहीं थीं, वे पंचायत में पंच और सरपंच के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाईं, जिसकी वजह से कई जगहों पर पंचायतों में महिलाओं के पंच और सरपंच के पद खाली रहे। इसलिए यह चिन्ताजनक है।...(व्यवधान).... आप रिकॉर्ड निकालिए। आपकी स्टेट्स में दो दफा इलेक्शंस कराने पड़े। आपको दुनिया का पता नहीं है। इसलिए मेरा यह अमेंडमेंट है कि यह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का हिस्सा होना चाहिए और सरकार को कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना चाहिए, उनको वोट देने का हक होना चाहिए। So, I am moving the motion.

†جناب غلام نبی آزاد : سر، مائی امینڈمینٹ از۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ سر، مائی امینڈمینٹ از،

کانسٹی ٹیوشن میں 73واں امینڈمینٹ آیا، جس کی وساطت سے راجیو گاندھی نے ویمن کے لئے 33 فیصد رزرویشن کا پراودھان کیا۔ ہمارا سنودھان جب سے بنا ہے، پنچایت سے لیکر راشٹر پتی تک ایم۔پی۔، ایم۔ایل۔اے۔ کے لئے کوئی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن مقرر نہیں کی گئی ہے۔ جب راجستھان اور ہریانہ کی بی۔جے۔پی۔ گورنمینٹ نے آرڈی-نینس جاری کیا اور پنچ و سر پنچ کے لئے آٹھویں اور دسویں کلاس کی ایجوکیشن مقرر کی، تو اس کے چلتے سب سے زیادہ نقصان ہماری بہنوں کو ہوا، چاہے وہ بہنیں کسی بھی کاسٹ، ریلیجنن یا کمیونٹی کی ہوں۔ اس سے سب سے زیادہ نقصان ہماری ایسی بہنوں اور بہو-بیٹیوں کو ہوا، جو دلت تھیں، بیک-ورڈ تھیں، اقلیتی تھیں یا وہ اپر کاسٹ کی میجورٹی کمیونٹی کی تھیں۔ جو پڑھی لکھی نہیں تھیں، وہ پنچایت میں پنچ اور سر پنچ کے

چناؤ میں حصہ نہیں لے پائیں، جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر پنچائیتوں میں مہیلاؤں کے پنچ اور سر پنچ کے عہدے خالی رہے۔ اس لئے یہ فکر انگیز ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ آپ ریکارڈ نکالنیے۔ آپ کی اسٹیٹس میں دو دفعہ الیکشنس کرانے پڑے۔ آپ کو دنیا کا پتہ نہیں ہے۔ اس لئے یہ میرا امینڈمینٹ ہے کہ یہ راشٹرپتی جی کے ابھیہاشن کا حصہ ہونا چاہئے اور سرکار کو کانستٹی ٹیوشن امینڈمینٹ لانا چاہئے، ان کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہئے۔ سو، ائی ایم موونگ دی موشن۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, now, ...(Interruptions)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: And I seek the cooperation of all the opposition parties. ...(Interruptions)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, we have to put the record straight. ...(Interruptions).... This is not an Amendment by Parliament of India. ...(Interruptions).... This is done by ...(Interruptions)...

श्री गुलाम नबी आजाद: मैं वोट देने की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन लड़ने की बात कह रहा हूँ।...(व्यवधान)...

آجناب غلام نبی آزاد : یم ووٹ ید نے یک بات نہ ی کر رہا، یم الیکشن لڑنے یک بات کہہ رہا ہوں۔۔۔۔(مداخلت)۔۔۔۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)...

श्री एम. वैकैया नायडु: वह संशोधन केंद्र सरकार नहीं लाई है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. You have not brought.

श्री एम. वैकैया नायडु: राष्ट्रपति जी ने यहां पार्लियामेंट के सामने, देश के सामने रिजर्वेशन के बारे में कहा, लेकिन जिस क़ानून का जिक्र गुलाम नबी जी कर रहे हैं, वह क़ानून स्टेट्स का है। स्टेट्स ने वह क़ानून पारित किया, बाद में कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। 33 परसेंट रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं है। उसमें कोई कमी नहीं की गई है और यथास्थिति उनको भी मालूम है। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि आप कृपया इसको इनसिस्ट मत कीजिए, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी अधिकार है।...(व्यवधान)...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. Leader of the House. ...(Interruptions).... Now, the Leader of the House. ...(Interruptions).... गुलाम नबी जी, सुनिए।...(व्यवधान)...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I have a serious point of order. ...*(Interruptions)*... The Amendment proposed ...*(Interruptions)*... The Amendment proposed by the hon. Leader of the Opposition, under the Rules, comes as a motion. This motion cannot be permitted by this House under the Rules.....*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Why?

SHRI ARUN JAITLEY: Because the motion itself is invalid. Sir, you take the Constitution, Seventh Schedule, List II, State List, Entry 5. And I invite a ruling from the Chair, whether matters squarely covered by the State List can be even put to vote in this House? ...*(Interruptions)*... List II, State List, Entry 5 – ‘Local Government, that is to say, the constitution and powers of municipal corporations, improvement trusts, districts boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-Government or village administration.’ Therefore, laws relating to village administration and panchayat, who can contest, who can not contest, are squarely, even as per the 73rd Amendment, read with List II, Entry 5, in the domain of the State Legislature. Kindly look at the Rules of Procedure. Rule 238(iii) says that a Member while speaking cannot refer to any expression, anything, that goes on in the State Legislature. Therefore, the jurisdiction of this House is not to discuss any matter which has been approved by the State Legislature and which is squarely covered under List II of the Constitution. ...*(Interruptions)*... Panchayat and its administration is squarely a List II subject, a State Legislature subject and this House constitutionally has no jurisdiction to pass a Resolution on any law which is squarely within the domain of the State Government and therefore this motion cannot be ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I think this is not valid. ...*(Interruptions)*... The objection raised by the Leader of the House is not valid. ...*(Interruptions)*... I am not the Chair. Ask him. Why are you pointing fingers at me?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please proceed.

SHRI SITARAM YECHURY: You ask him who he is permitting.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I don't think ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please proceed.

SHRI SITARAM YECHURY: One, what we are discussing now is an amendment to the Motion of Thanks which has been moved in this House. It is an amendment

to the Motion. It is not a Resolution. So, it does not fall under the purview of anything that has been quoted so far. Two, we have said that our Constitution is premised on the basis of universal adult suffrage. Universal adult suffrage means beyond a date that we decide. It was 21 earlier and now 18. Anybody who is a voter can also contest elections. The States have some position. The matter is actually under the judiciary's consideration. Now the amendment moved is that, "...regret that the Address does not mention..." That is the relevant part. The relevant part is not everything else that concerns what the Leader of the House has said. It says, "...regret that the Address does not mention..." And that is the point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I got the point.

SHRI SITARAM YECHURY: Therefore, I am saying that that does not stand. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: If that is allowed to put to vote, every State Legislature in India will have a jurisdiction to pass resolutions with regard to proceedings and laws made by Parliament. ...*(Interruptions)*...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, this is not the right House to move such a Resolution. If Mr. Ghulam Nabi Azad wants...*(Interruptions)*... यह इन्हें accept नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह इस हाउस का competence नहीं है।

SHRI GHULAM NABI AZAD: It is not a Resolution. ...*(Interruptions)*... Sir, I am sorry to say that this is not a Resolution. ...*(Interruptions)*... It says that there is no mention of such an important thing in the Rashtrapati's Speech. ...*(Interruptions)*... This is only a mention. ...*(Interruptions)*... It is totally different from what you and the Leader of the House are saying. ...*(Interruptions)*...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: No. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: This is not a Resolution. ...*(Interruptions)*... But this is not a Resolution. ...*(Interruptions)*... Sir, let me read what I am saying. ...*(Interruptions)*... It says, "but regret that the Address does not mention that the Government is committed to securing the fundamental right of all the citizens to contest elections at all levels, including to Panchayats to further strengthen the foundations of democracy..." It is totally different. It is not a Resolution. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to say anything new?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Mr. Deputy Chairman, Sir, if the fundamental point made by the Leader of the House is valid, then how is it that this House took up the amendments to the Constitution which eventually came to be 73rd and 74th Amendments? If it is not possible for Parliament under our Constitution to discuss Panchayati Raj, please let me understand how it is that Parliament not only took it up in 1989 and resumed the discussion in 1991, but it also set up Joint Parliamentary Committees to go into, on the one hand, the 73rd Amendment, and on the other, the 74th Amendment. Then, it took into account the amendments that were proposed by these two Committees and then on the 23rd of December, 1992, with only some Members voting against it, a very few Members, and the rest of the House quasi-unanimously passed the 73rd and the 74th Amendments. How can it be that we are not allowed to discuss Panchayati Raj in this House despite the fact that it is there at Entry 5 of List II?

Furthermore, Sir, I would draw the attention of the Leader of the House to the entry relating to economic and social planning, which is in the Concurrent List. Because it exists in the Concurrent List and because the main purpose of the 73rd and 74th Amendments of the Constitution was to give the Panchayats and the local bodies authority to deal with economic and social planning that it was admitted. This has not been challenged. I am not challenging the right of a State Legislature to make or amend the law. I am challenging the right of the State to so make it as to prevent 83 per cent of the SC women, who won the last Haryana elections, to even stand in elections. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: This is the injustice. ...*(Interruptions)*... We are, therefore, entitled to draw the attention of this Government and the Party that runs this Government that their colleagues in Haryana and Rajasthan are grossly neglecting the women. ...*(Interruptions)*... ...*(Time-bell rings)*... I find it impossible to understand how Mr. Jaitley can say that. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I think it is elementary. The 73rd Amendment prescribed a constitutional process for constitution of Panchayats and the manners in which the Panchayats will function. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't interrupt.

SHRI ARUN JAITLEY: Article 243K provided for elections to Panchayats to be regulated by the State Election Commission in accordance with laws made by

States. ...*(Interruptions)*... Therefore, the Constitution Amendment itself permitted so and, therefore, the Constitution Amendment did not change the Constitutional entries that Panchayats suddenly move from being a State subject to a Central subject. Now, this is a Resolution which is a Motion of Thanks to the President. If the Leader of the Opposition wants an amendment to the Motion of Thanks by adding a para to it, it becomes a part of the Resolution. What he wants us effectively to do is ...*(Interruptions)*... Sir, without reading it in a rhythm, the motion by Mr. Ghulam Nabi Azad says that at the end of the Motion, the following be added. You want an addition to the Motion. The addition that you want is in matters which are governed by the State List. ...*(Interruptions)*... So, tomorrow, this House will start passing Resolutions that Tamil Nadu Assembly has decided this and the West Bengal Assembly has decided this. That is not within the domain of this House. And let me tell Mr. Sitaram Yechury that the right to contest an election nowhere in India is a Fundamental Right. Let's be very clear. You can use it in a normal parlance. It's a right which is regulated by statute and, therefore, the statute fixes an age at which you can contest an election; the statute fixes the qualifications and disqualifications; and, therefore, a statute itself is competent and in the case of Panchayats, that legislation has to be made by the States. I don't think it is in the competence of and in accordance with the federal politics that Central Parliament should comment upon laws made by a State Legislature. ...*(Interruptions)*...

SHRI ASHWANI KUMAR (Punjab): The Leader of the House has used the argument which is, of course, available to him as a lawyer, he knows that. That although the right to contest an election may not be a fundamental right. The purport of the motion moved by the Leader of the Opposition or the suggestion that the Presidential Address should contain the particular paragraph is to reiterate the Constitutional imperative of a political democracy which is negated by the fact that if this particular amendment is ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: That law has been upheld by the Supreme Court.

SHRI ASHWANI KUMAR: One moment. The Leader of the House knows the Supreme Court judgement as do I. The purport today in this House of this amendment to the Address is that that in effect negates the entire basis of the Constituent Assembly debates in which Mr. K. T. Shah.

SHRI ARUN JAITLEY: You had been the Law Minister, please tell me, can the Haryana Legislative Assembly pass a resolution and say that a Central law is bad? Are you going to have federalism that the U.P. Assembly passes a resolution against the Parliament and we pass a resolution against the U.P. Assembly? ...*(Interruptions)*...

SHRI ASHWANI KUMAR: Mr. Deputy Chairman, it has not been the style so far of the distinguished Leader of the House to interrupt a mortal Member. But may I just say this? Please go to the substance of what is sought to be done. What is sought to be done is to draw the attention of the country and of the Government to the fact that if these amendments by Haryana and Rajasthan are allowed to become the norm, the substantial basis of the political democracy goes. Therefore, the idea is if this is amended, if this is incorporated in the President's Address this becomes the basis of ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: You can't get a Central legislation to pass a resolution against the State Assembly resolution. ...*(Interruptions)*... I fail to understand that Left parties which are champions of federalism should now want the Central Government to pass a resolution. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Yechury, let me take a decision.

SHRI SITARAM YECHURY: You may take your decision. One MP says "** are disenfranchised." ...*(Interruptions)*.. Are we going to keep quiet? ...*(Interruptions)*..

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Deputy Chairman, Sir, it should be removed from the record. ...*(Interruptions)*.. What is he saying? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No mention of Muslims.

SHRI SITARAM YECHURY: "Minorities disenfranchised". Are we going to keep quiet? What are they asking for?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Before you give your final ruling, I would like to draw your attention to my limited knowledge and understanding of the Peoples' Representation Act; and local bodies Act also as I have worked as the Rural Development Minister for some time. ...*(Interruptions)*... My point is you are moving an amendment to the Motion of Thanks to the President of India. That means practically you are saying that the Centre has failed, encouraged democratic participation of the poor, and marginalised without imposing educational or any other limitation under the right to contest elections. Sir, what I am saying is that the Centre has no role in this, at all, as far as this is concerned. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Let me remind the Leader of the Opposition. The Haryana Assembly had earlier passed a law that if a person has more than two children, he or she can't contest the elections. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me now take a decision because legal luminaries from both sides are arguing. I am not a legal luminary. ...*(Interruptions)*... Both sides mean.. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: They are confused. We are arguing on common sense.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why I am saying. ...*(Interruptions)*.. Now, let me read the amendment. ...*(Interruptions)*.. I am not allowing anybody. No more please. Please help me now to take a decision. We have to take a decision. That is my duty. Let me read the amendment. It says:-

"That at the end of the motion, the following may be added: "But regret that the Address does not mention that the Government is committed to securing the fundamental right of all citizens to contest elections at all levels, including to Panchayats, to further strengthen the foundations of democracy which also forms part of the basic structure of the Constitution and is consistent with the spirit of the 73rd Amendment to the Constitution, intended to expand and encourage democratic participation of the poor and marginalized without imposing educational or any other limitation on the right to contest election."

Now, *prima facie*, there is no mention of any State or any State Legislature in the amendment. It is only the concern of the Member who has moved the Motion. If there was a direct mention of any Legislature in the amendment, then, we could have considered it in a different way. It is a concern of a Member that certain things are not there in the President's Address. Of course, there is a valid explanation for why those things have not been included and why those things should not be there. There is a valid explanation. But that would be relevant when that issue is considered. It does not however prevent the Member, who moved the amendment, from expressing his views or putting it to vote. That is what my common sense tells me. Therefore, there is no harm in putting it to vote. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. P. SINGH BADNORE (Rajasthan): Sir, what message are we giving to ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, therefore... ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*... I am not allowing. ...*(Interruptions)*... I am not allowing. ...*(Interruptions)*... I am putting... ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, the common sense has ...*(Interruptions)*... over the legal luminaries.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. Now, I am putting the motion ...*(Interruptions)*... Please. Now, I am putting the amendment ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You put it to vote and do whatever you want to do, Sir. But with our limited understanding, let me say that the Leader of the Opposition is a learned person. To my knowledge, the right to contest an election ...*(Interruptions)*... mentioning it in the Motion of Thanks to the President's Address ...*(Interruptions)*... I am not questioning the ruling. Please try to understand. ...*(Interruptions)*... The right to contest elections at all levels... ...*(Interruptions)*... Sir, for right to contest elections at all levels for Rajya Sabha, it is not 18 years; it is not a fundamental right...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree with you. But that is not a fundamental right; that is limited by law. ...*(Interruptions)*... The point is this is only a concern of the Member who has moved the motion, which the House can reject.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Exactly, Sir. I am coming to that only.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But I cannot reject. ...*(Interruptions)*... Venkaiahji, I agree with you. I am not disagreeing with you. But what I am saying is that this is the concern of an hon. Member that this particular issue should be considered by the Government. I am putting it to vote before the House and the House has every right to reject it. But I cannot reject it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I agree with the Chair. Sir, as the Minister for Parliamentary Affairs, because you are setting a new precedent, I am only requesting the Leader of the Opposition, who himself was the Parliamentary Affairs Minister earlier, that any resolution which is not factually correct in reality, I am not trying to score any points ...*(Interruptions)*... Sir, the right of all the citizens to contest elections at all levels is not a factually or legally a correct statement. That is what I am appealing that ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will also make one point. ...*(Interruptions)*... I request the indulgence of the House. ...*(Interruptions)*... I request the indulgence of all the hon. Members. See, the Chair will be very happy if the House can send a unanimous Resolution, agreed resolution to the Rashtrapati. I will be very happy, but it is for the House to decide. Therefore, I have to put it to vote. But, I will be happy if we can make it unanimous. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I want the LOP to respond. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am asking him. ...*(Interruptions)*... I am asking him. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD : Sir, I am not withdrawing. I am pressing for it. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, Ghulam Nabi Azadji, I am asking you: In the light of all the explanation and also in the light of the explanation given from this side and also from the Parliamentary Affairs Minister and also the legal aspect of the question explained by the Finance Minister and in the light of what I also said, would you withdraw the Amendment?

SHRI GHULAM NABI AZAD : Sir, in the light of the discussion, I have come to the conclusion that the poor people of this country have been deprived from contesting. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You only say withdrawn or not withdrawn. You are not withdrawing it. ...(Interruptions)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: So, that is the conclusion and I am pressing my amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Okay, you are not withdrawing. So, Amendment is not withdrawn. I shall now put the Amendment (No. 305) again to vote.

The question is:

(305) That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:-

"but regret that the Address does not mention that the Government is committed to securing the fundamental right of all the citizens to contest elections at all levels, including to Panchayats to further strengthen the foundations of democracy, which also forms part of the basic structure of the Constitution and is consistent with the spirit of the 73rd Amendment to the constitution, intended to expand and encourage democratic participation of the poor and marginalized without imposing educational or any other limitations on the right to contest elections."

SHRI GHULAM NABI AZAD : I am asking for the Division.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(Interruptions).... All right. ...(Interruptions).... Okay, division, let the lobbies be cleared. ...(Interruptions).... Let the lobbies be cleared. ...(Interruptions)....

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes : 94

Noes : 61

AYES — 94

Aiyar, Shri Mani Shankar
Ashk Ali Tak, Shri
Ashwani Kumar, Shri
Azad, Shri Ghulam Nabi
Babbar, Shri Raj
Balagopal, Shri K. N.
Balmuchu, Dr. Pradeep Kumar
Balyawi, Shri Gulam Rasool
Banerjee, Shri Ritabrata
Batra, Shri Shadi Lal
Bhattacharya, Shri P.
Biswal, Shri Ranjib
Budania, Shri Narendra
Chowdhury, Shrimati Renuka
Dalwai, Shri Husain
Darda, Shri Vijay Jawaharlal
Dwivedi, Shri Janardan
Faruque, Shrimati Naznin
Fernandes, Shri Oscar
Gowda, Prof. M. V. Rajeev
Hariprasad, Shri B. K.
Harivansh, Shri
Hashmi, Shri Parvez
Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal
Karan Singh, Dr.
Khan, Shri Javed Ali
Khan, Shri K. Rahman
Khan, Shri Mohd. Ali
Kidwai, Shrimati Mohsina

Kujur, Shri Santiuse
Mahra, Shri Mahendra Singh
Memon, Shri Majeed
Mistry, Shri Madhusudan
Mukut Mithi, Shri
Mungekar, Dr. Bhalchandra
Naik, Shri Shantaram
Nanda, Shri Kiranmay
Narayanan, Shri C. P.
Natchiappan, Dr. E. M. Sudarsana
Nishad, Shri Vishambhar Prasad
Pande, Shri Avinash
Patel, Shri Ahmed
Patil, Shrimati Rajani
Pawar, Shri Sharad
Perween, Shrimati Kahkashan
Punia, Shri P. L.
Ragesh, Shri K. K.
Raja, Shri D.
Ramalingam, Dr. K. P.
Ramesh, Shri Jairam
Rangarajan, Shri T. K.
Rao, Dr. K. V. P. Ramachandra
Rao, Shri Garikapati Mohan
Rao, Shri V. Hanumantha
Rapolu, Shri Ananda Bhaskar
Rashtrapal, Shri Praveen
Ravi, Shri Vayalar
Reddy, Dr. T. Subbarami
Reddy, Shri Palvai Govardhan
Sadho, Dr. Vijaylaxmi

Sahani, Dr. Anil Kumar
Sahu, Shri Dhiraj Prasad
Salam, Haji Abdul
Saleem, Chaudhary Munvvar
Seelam, Shri Jesudasu
Seema, Dr. T. N.
Selja, Kumari
Sen, Shri Tapan Kumar
Sharma, Shri Satish
Shekhar, Shri Neeraj
Shukla, Shri Rajeev
Singh, Dr. Manmohan
Singh, Shri Arvind Kumar
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Ramchandra Prasad
Singh, Shrimati Kanak Lata
Sinh, Dr. Sanjay
Siva, Shri Tiruchi
Soni, Shrimati Ambika
Syiem, Shrimati Wansuk
Thakur, Shri Ram Nath
Thakur, Shrimati Viplove
Thangavelu, Shri S.
Tiwari, Shri Alok
Tiwari, Shri Pramod
Tlau, Shri Ronald Sapa
Tripathi, Shri D. P.
Tulsi, Shri K. T. S.
Tyagi, Shri K. C.
Verma, Shri Ravi Prakash
Vora, Shri Motilal
Yadav, Dr. Chandrapal Singh
Yadav, Shri Sharad
Yechury, Shri Sitaram

NOES — 63

Akbar, Shri M. J.
Arjunan, Shri K. R.
Bernard, Shri A. W. Rabi
Bhunder, Shri Balwinder Singh
Chandrasekhar, Shri Rajeev
Dave, Shri Anil Madhav
Desai, Shri Anil
Dudi, Shri Ram Narain
Fayaz, Mir Mohammad
Gehlot, Shri Thaawar Chand
Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai
Gokulakrishnan, Shri N.
Goud T., Shri Devender
Goyal, Shri Piyush
Heptulla, Dr. Najma A.
Irani, Shrimati Smriti Zubin
Jain, Shri Meghraj
Jaitley, Shri Arun
Jangde, Dr. Bhushan Lal
Jatiya, Dr. Satyanarayan
Javadekar, Shri Prakash
Jha, Shri Prabhat
Judev, Shri Ranvijay Singh
Katiyar, Shri Vinay
Khanna, Shri Avinash Rai
Lakshmanan, Dr. R.
Laway, Shri Nazir Ahmed
Maitreya, Dr. V.
Mandaviya, Shri Mansukh L.
Manhas, Shri Shamsher Singh

Manjunatha, Shri Aayanur
Mitra, Dr. Chandan
Muthukaruppan, Shri S.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Naidu, Shri M. Venkaiah
Naqvi, Shri Mukhtar Abbas
Navaneethakrishnan, Shri A.
Panchariya, Shri Narayan Lal
Pandian, Shri Paul Manoj
Pandya, Shri Dilipbhai
Parrikar, Shri Manohar
Patil, Shri Basawaraj
Prabhu, Shri Suresh
Pradhan, Shri Dharmendra
Prasad, Shri Ravi Shankar
Ramesh, Shri C. M.
Rangasayee Ramakrishna, Shri
Rao, Dr. K. Keshava
Rathinavel, Shri T.
Raut, Shri Sanjay
Sable, Shri Amar Shankar
Sancheti, Shri Ajay
Sasikala Pushpa, Shrimati
Selvaraj, Shri A. K.
Singh Badnore, Shri V. P.
Singh, Shri Birender
Sood, Shrimati Bimla Kashyap
Tarun Vijay, Shri
Tundiya, Mahant Shambhuprasadji
Vadodia, Shri Lal Sinh
Vegad, Shri Shankarbhai N.
Vijila Sathyananth, Shrimati
Yadav, Shri Bhupender

The motion was carried by a majority of the total membership of the house and by a majoring of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Motion of Thanks, as amended, to vote. The question is:

That an Address be presented to the President in the following terms:

"That the Members of Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament, assembled together on February 23rd, 2016, but regret that the Address does not mention that the Government is committed to securing the fundamental right of all the citizens to contest elections at all levels, including to Panchayats to further strengthen the foundations of democracy, which also forms part of the basic structure of the Constitution and is consistent with the spirit of the 73rd Amendment to the constitution, intended to expand and encourage democratic participation of the poor and marginalized without imposing educational or any other limitations on the right to contest elections."

The motion was adopted.

RE. DEMAND TO TAKE UP DISCUSSION ON BILL

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Naqviji, what are we taking up now? ...*(Interruptions)*... Shall we take up the Bill? ...*(Interruptions)*... How much time is there for this Bill? ...*(Interruptions)*... What are we taking up now? Shall we take up the Short Duration Discussion? ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION; AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, what about the Real Estate Bill? I have given notice after notice.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naqvi, which Bill have we agreed for today?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am of the understanding that the Government Business is decided by the Ministry of Parliamentary Affairs, and I have been asking for this Bill for days together. I don't know what is happening. I feel sorry for it. The public has been agitating...